

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 60/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट

अनवान

1. हीरालाल पिता मियाचन्द गाडरी निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

बनाम -

—प्रार्थी

1. भगवान पिता मियाचन्द गाडरी
2. रतन पिता मियाचन्द गाडरी
3. भैरू पिता मियाचन्द गाडरी
4. परथु पिता बरदा गाडरी
5. राजु पिता मोती गाडरी
6. लादु पिता ज्वारमल गाडरी
7. नारू पिता खुराज गाडरी

सर्व निवासी रामाखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

8. कालु पिता उदा जाट
9. कानु पिता नानु जाट

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 28 /06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 874 रकबा 0.25 हे० भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.25 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 112 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रामाखेड़ा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 874 रकबा 0.25 हे० भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.25 हे० भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 350- (तीन सौ पच्चास रुपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 350- (तीन सौ पच्चास रुपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को नौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28 /06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
(सी०एल०शर्मा)  
गंगापूर जिला भीलवाडा